मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 293 दिनांक– 20/2/17

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ– 1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 212 दिनांक 02.02.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 189 दिनांक 30.01.2017.

***

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र क्रमांक–1 के माध्यम से प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक / निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लाक अर्थात् **सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20** के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 18.02.2017 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने थे। ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र भरने के संबंध में तैयार की गई एप्लीकेशन का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ऐसी समस्त संस्थायें ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2017 से भरने की कार्यवाही प्रारंभ करें तथा संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ निजी क्षेत्र की **चिकित्सा / दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए आनलाईन फार्म 09.03.2017 तक उपलब्ध रहेंगे तथा अन्य समस्त संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फार्म 27.03.2017 तक उपलब्ध रहेंगे।** उपरोक्त तिथियों तक संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन फॉर्म भरने के पश्चात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली चिकित्सा / दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाएं को आवश्यक जानकारी एवं भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर, रूपये 100 / – का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर **दिनांक 10.03.2017** तक समिति, सचिवालय में जमा करना है। शेष संस्थाओं को ऑनलाईन फॉर्म भरने के पश्चात् आवश्यक जानकारी एवं भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर, रूपये 100 / – का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर **दिनांक 30.03.2017** तक समिति, सचिवालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। (शपथ पत्र का प्रारूप समिति, सचिवालय की वेबवसाईट पर भी उपलब्ध है)।

ऐसी संस्थाएं जिन्होंने उनके यहाँ पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम को सत्र 2016–17 से निरन्तरता जारी न रखने का निर्णय लिया है, उन संस्थाओं को भी निर्धारित आवेदन पत्र मय सहपत्रों के समिति, सचिवालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में भरकर निर्धारित प्रोफार्माओं के साथ **दिनांक 21.03.2017** तक समिति, सचिवालय में जमा कराना है।

दर्शाई गई तिथियों (पोर्टल पर ऑनलाईन तथा समिति, सचिवालय में हार्डकॉपी जमा कराने की तिथि) के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

अन्य निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार यथावत रहेंगे।

N.K. Sharma 20/02/17
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / सचिव

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 294 दिनांक – 20/2/17

प्रतिलिपि–माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

N.K. Sharma 20/02/17
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / सचिव